

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

F/144/1114/DC/1802/11/1380-1411

--- बैठक कार्यवाही विवरण ---

दिनांक 27/7/11

आज दिनांक 16.06.2011 को दोपहर 3.00 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, आई.ए.एस. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

गत बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

## प्रस्ताव संख्या (1) विकास कार्यों के संबंध में --

### 1. शेड्यूल ऑफ पॉवर में संशोधन बाबत :-

वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया है, जैसे 4 लेन सड़क निर्माण, आर.ओ.बी. इत्यादि। इन कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु वर्तमान में प्रचलित शेड्यूल ऑफ पॉवर में संशोधन की आवश्यकता सभी स्तर पर महसूस की जा रही है। शेड्यूल ऑफ पॉवर 16.06.2011 के सभी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श अनुमोदन करने के निर्णय लिया गया एवं निर्देश भी जारी किये गये कि भविष्य में अधिक/अतिरिक्त कार्य करवाने से पूर्व समक्ष प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमोदित प्राप्त कर कार्य को सम्पादित किया जाये।

### 2. विभिन्न उद्यानों में विकास कार्य :-

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर शहर के मण्डोर उद्यान, उम्मेद उद्यान, अशोक उद्यान व कायलाना झील में विकास कार्य एवं रख-रखाव हेतु सम्बन्धित विभागों से हस्तान्तरण करने के संदर्भ में बाद विचार-विमर्श सम्बन्धित विभागों से विकास कार्य एवं रख-रखाव हेतु लेने का निर्णय लिया गया।

### 3. नवीन विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन --

कार्यकारी समिति के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये रखे गये।

क्र. सं.	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
1	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत पाल जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने के पश्चात् शेष सड़क निर्माण कार्य।	355.59	-
2	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत झालामण्ड जोन के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाईन डालने के पश्चात् शेष सड़क निर्माण कार्य।	492.02	-
3	विवेक विहार योजना के विभिन्न सेक्टरों में प्लॉटों एवं सड़कों पर मैसोनरी के मुटाम लगाने का कार्य	150.00	-
4	पावपुरा क्षेत्र में सीवर लाईन (ई 3 जोन) एवं 5 एमएलडी एस.टी.पी. का कार्य।	2300.00	-
5	रातानाडा से बीआरओ बाईपास तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।	4200.00	-
6	के.के. कोलोनी बासनी में नाले की दीवार उंची करने का कार्य।	17.72	-



7	बोरानाडा से सागरिया होते हुए पाली रोड तक सडक निर्माण कार्य।	1200.00	-
8	जयपुर रोड से बन्नाड तक पोल लेस करने का कार्य।	1400.00	
9	बासनी से न्यू पावर हाऊस, आईटीआई होते हुए पाल रोड तक पोल लेस करने का कार्य।	900.00	

उक्त कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया तथा उपरोक्त प्रकरण संख्या 6 के सन्दर्भ में रिको से कोस्ट भोयरिंग हेतु प्रकरण रिको को प्रेषित करने के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान किये गये।

#### 4. अतिरिक्त व अधिक कार्यों की पुष्टि :-

निम्नलिखित विकास कार्यों में शेड्यूल ऑफ पॉवर (Schedule of Power) के अनुसार अतिरिक्त व अधिक कार्यों की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी समक्ष स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :-

##### 4.(1) पाबुपुरा खेल मैदान व स्कूल की चार दिवारी का कार्य :-

पाबुपुरा खेल मैदान व स्कूल चार दिवारी का कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 5.80 लाख तथा संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये  $(5.80 + 2.43) = 8.23$  लाख रुपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर चार दीवारी की लम्बाई निर्देशानुसार बढ़ाने के कारण अतिरिक्त रुपये 36,233/- तथा अधिक रुपये 3,02,448/- का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि उपायुक्त पूर्व कार्य का निरीक्षण कर आयुक्त महोदय को पत्रावली प्रस्तुत करेंगे।

##### 4.(2) नई सडक चौराहे पर डिवाइडर का कार्य :-

नई सडक चौराहे पर डिवाइडर का कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 2.50 लाख तथा संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये  $(2.50 + 1.50) = 4.00$  लाख रुपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर रेलिंग का कार्य निर्देशानुसार बढ़ाने के कारण अतिरिक्त रुपये 36,302/- तथा अधिक रुपये 80,960/- का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

##### 4.(3) गौशाला मैदान में दो सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट का निर्माण कार्य :-

गौशाला मैदान में दो सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट का निर्माण कार्य वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 25.70 लाख तथा संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये  $(25.70 + 2.30) = 28.00$  लाख रुपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर दो सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट का निर्माण दो अलग अलग स्थानों गौशाला मैदान एवं पुलिस लाईन में निर्देशानुसार कराने के कारण अतिरिक्त रुपये 4,10,247/- तथा अधिक रुपये 2,75,092/- का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण के बाद विचार-विमर्श निदेशक अभियांत्रिकी के द्वारा इस कार्य का निरीक्षण कर प्रस्तुत अतिरिक्त /अधिक कार्य को अनुमोदन करने के लिये अधिकृत किया गया।



4.(4) नवदुर्गा नगर झालामण्ड में कब्रिस्तान मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य :-  
नवदुर्गा नगर झालामण्ड में कब्रिस्तान मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 11.30 लाख तथा संशोधित वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये (11.30+3.70) = 15.00 लाख रुपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर झालामण्ड खसरा नम्बर 413 की भूमि निलामी हेतु एप्रोच सड़क से अतिक्रमण हटाकर शीघ्र एप्रोच सड़क निर्माण करने के निर्देशानुसार के कारण कार्य में अतिरिक्त रुपये 2,36,956/- तथा अधिक रुपये 3,42,736/- का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में निदेशक अभियांत्रिकी को निर्देश जारी किये गये कि वे इस कार्य का निरीक्षण कर पत्रावली आयुक्त महोदय प्रस्तुत करेंगे।

4.(5) जोन पूर्व में वेल्डमैस लोहे की जाली मरम्मत का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध) :-  
जोन पूर्व में वेल्डमैस लोहे की जाली मरम्मत का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध) वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 5.00 लाख रुपये है। मौके की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार सर्किट हाउस से एरोड्रम तक सड़क के मध्य डिवाइडर पर लगी लोहे की जाली का एक रुप रंगरोगन करवाने के कारण अधिक रुपये 92,473/- का करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्यादेश राशि 3,81,732/- तथा प्रथम रनिंग बिल रुपये 1,62,774/- का है। प्रस्तुत प्रकरण को आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये।

4.(6) हुडकों कॉलोनी से विक्रमाद्वित्य नगर गौरव पथ रोड तक सीवरेज लाईन का निर्माण कार्य :-  
हुडकों कॉलोनी से विक्रमाद्वित्य नगर गौरव पथ रोड तक सीवरेज लाईन का निर्माण कार्य की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 70.00 लाख की थी। प्राप्त निविदा दरों की स्वीकृति के कारण कार्यादेश राशि रु. 73.85 लाख की है। अतः संशोधित वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। कार्य पूर्व स्वीकृत कार्यादेश के अन्तर्गत ही है। मूल तकमीने में घरों के कनेक्शन एवम् चेम्बर का प्रावधान नहीं था। राजकीय आवास होने के कारण यह कार्य प्राधिकरण द्वारा करवाया गया। इसके अतिरिक्त सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त फर्श को भी पुनः ठीक करवाया गया। इस कारण अतिरिक्त रुपये 8.41 लाख तथा अधिकरुपये 11.93 लाख का कार्य हुआ। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

4.(7) एम.एन. अरोडा सर्किल के समीप विभिन्न Ornamental work :-

एम.एन. अरोडा सर्किल के समीप विभिन्न Ornamental work की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 7.80 लाख तथा संशोधित वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रुपये (7.80+21.20+2.62) = 31.62 लाख रुपये श्रीमान् आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। मौके पर निर्देशानुसार विभिन्न स्थानों पर कार्य करवाने के कारण कार्य में अतिरिक्त रुपये 6,38,087/- तथा अधिक रुपये 18,18,555/- का कार्य करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।



**4.(8) सूचना केन्द्र भवन व मिनी आडिटोरियम के रिपेयरिंग व पुनरोद्धार का कार्य :-**

सूचना केन्द्र भवन व मिनी आडिटोरियम के रिपेयरिंग व पुनरोद्धार का कार्य की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 20.24 लाख रुपये है। मौके की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार वर्तमान पीआरओ द्वारा कुछ कार्य जैसे टिन शैड का निर्माण, लाईब्रेरी में एल्यूमिनियम पार्टीशन, आडिटोरियम में मकराने के पत्थर तथा लकड़ी का फर्श व अन्य कार्य श्रीमान् आयुक्त महोदय द्वारा पेटा नम्बर 40 पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः निर्देशानुसार कार्य करवाने के कारण अतिरिक्त रुपये 51,368/- का करवाया गया। मौके पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**4.(9) मेडिकल कॉलेज दल्ले खों की चक्की तक डिवाइडर व पार्किंग क्षेत्र में लोहे की ग्रील लगाने का कार्य :-**

डॉ भीमराव अम्बेडकर सर्किल नागौरी गेट चौराहे पर डॉ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किये जाने हेतु। माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त चौराहे पर मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये चौराहे के चारों ओर लोहे की रेलिंग लगायी गयी। जिसमे अतिरिक्त कार्य रुपये 35,444/- व अधिक कार्य रुपये 5,96,345/- रुपये का सम्पादित हुआ। उपरोक्त कार्यों की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति राशि 63.50 लाख की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.04.2011 द्वारा प्राप्त है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**4.(10) विभिन्न स्थानों पर पेच रिपेयर का कार्य :-**

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.04.2011 के बिन्दु संख्या 2.7/2 में इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति रुपये 34.68 लाख की प्रदान की जा चुकी है संशोधित स्वीकृति के कारण कार्य अधिक रुपये 12.10 लाख का अधिक व रुपये 2.52 लाख का अतिरिक्त कार्य करवाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**4.(11) विभिन्न स्थानों पर तारबन्दी का कार्य :-**

राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी खसरा सं. 269 मुख्य पाली रोड में तारबन्दी कार्य करवाये जाने के लिए सचिव/उपायुक्त दक्षिण के निर्देशों की पालना में कार्य प्रारम्भ करवाया गया। कार्य में अतिरिक्त कार्य 68,880/- व अधिक कार्य 2,41,536/- की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

**4.(12) बासनी कृषि मण्डी के पास पुलिया चौड़ा करने का कार्य :-**

पुलिया को अधिक चौड़ा करने की अनुमानित सीमा से अधिक चौड़ा करने व बड़ा करने हेतु अधिक कार्य 2,09,000/- करवाया गया, ताकि आगे रोड की चौड़ाई के समान हो जावे। प्रस्तुत प्रकरण में अधिक कार्य के बारे में विस्तृत कारण अकिंत नहीं होने से बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।



#### 4.(13) विभिन्न स्थानों पर सिविल रिपेयर का कार्य :-

आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एवं विधायक महोदय की मांग के अनुसार रेलिंग लगाने का कार्य करवाये जाने के कारण अतिरिक्त कार्य 3,49,990/- व अधिक कार्य 10,28,514/- रुपये हुआ है। उपरोक्तनुसार अधिक व अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

#### 4.(14) रूप नगर रूपाबाई का जाव में सामुदायिक भवन (वाचनालय) का निर्माण कार्य :

कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 12.00 लाख है। कार्यादेश राशि 10.09 लाख रुपये है। पूर्व पार्श्व वार्ड नं. 53 की अनुशन्सा एवं मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र की अनुपालना में आयुक्त महोदय द्वारा 23.00 कुल तथा 13.00 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गई थी तदनुसार अतिरिक्त आईटम रुपये 8,48,346/- एवं अधिक आईटम 707719/- सम्पादित करवाये गये थे। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

#### 4.(15) नागौरी बेरा क्षेत्र में जिम रूम का निर्माण कार्य :-

कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 04.00 लाख है। कार्यादेश राशि 03.42 लाख रुपये है। हॉल निर्माण कार्य के साथ सीढ़ियों का निर्माण अतिरिक्त करवाने की कारण अधिक कार्य हुआ है। अतिरिक्त कार्य रुपये 74,279 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। कार्य की कुल लागत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही होगी। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

#### 4.(16) पावटा सी रोड़ अण्डर ब्रिज से पावआ बी रोड़ तक मानजी के हत्थे में से होते हुए मुख्य सड़क का डामरीकरण का कार्य :-

कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 40.32 लाख है। संशोधित प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 56.12 लाख है। कार्यादेश राशि 31.71 लाख रुपये है मौके पर मान जी के हत्था कॉलोनी विकास समिति के पत्र पर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार फुटपाथ एवं सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाने के कारण अधिक आईटम/अतिरिक्त आईटम सम्पादित किये गये थे अधिक आईटम 615032/- व अतिरिक्त आईटम 997533/- स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

#### 4.(17) लाल सागर अण्डर ब्रिज में गोकुल जी. की प्याऊ तक बन रही सड़क पर डिवाइडर का कार्य :-

लाल सागर ब्रिज से गोकुल जी की प्याऊ तक सड़क निर्माण कार्य की कुल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 119.70 लाख रुपये है। जिसमें से रुपये 9010750/- का कार्य आदेश सड़क निर्माण कार्य तथा रुपये 963623/- का कार्य आदेश डिवाइडर निर्माण हेतु दिया गया है। इस प्रकार कुल रुपये 9974373/- का कार्यादेश उपरोक्त स्वीकृति के अन्तर्गत दिया गया है। डिवाइडर की लम्बाई 900 मीटर बढ़ने के कारण द्वितीय कार्यादेश में अधिक कार्य की स्वीकृति 1316486/- प्रदान करने हेतु आयुक्त महोदय ने सहमति प्रदान की है। उपरोक्त अधिक कार्य करवाये जाने पर उपरोक्त कार्य पर रुपये



11290850/- का व्यय होगा जो स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्दर ही होगा। स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

**4.(18) बंजारा कॉलोनी खरिया कॉलोनी रोड बेज वर्कशाप के पास नाला रिपेयरिंग व कवरिंग का कार्य :-**

कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 9.00 लाख है। कार्यादेश राशि 07.31 लाख रुपये है। नाला पुरा कचरे से भरा हुआ होने के कारण अधिक कार्य रुपये 92502 पर सम्पादित हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**4.(19) जोधपुर केन्ट रेल्वे स्टेशन के निकट शेल्टर टू सफरिंग्स केन्ट में विकास कार्य :-**

कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 6.80 लाख है। कार्यादेश राशि 588353 रुपये है। मौके पर आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना अतिरिक्त क्षेत्रफल में शेल्टर निर्माण कार्य करने के कारण रुपये 208741/- का अधिक कार्य सम्पादित हुआ है। अतः अधिक कार्य रुपये 208741/- स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये।

**4.(20) रामेश्वर महादेव मंदिर से राम बाग पुलिया तक नाला निर्माण कार्य:-**

कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 57.36 लाख है। कार्यादेश राशि 44.99 रुपये है। मौके पर स्थानीय निवासियों एवं जन प्रतिनिधियों की मांग अतिरिक्त कनेक्शन (पी.वी.सी. पाईप) द्वारा मैन हॉल निर्माण व कवर करने के कारण अधिक व्यय अतिरिक्त कार्य करवाया गया तथा कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के भीतर ही सम्पादित होगा अधिक कार्य रुपये 497152/- तथा अतिरिक्त कार्य रुपये 595667/- स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**4.(21) गुलजार पुरा क्षेत्र में सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य :-**

कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 20.00 लाख है। कार्यादेश राशि 18.08 लाख रुपये है। मौके पर स्थानीय निवासियों एवं जन प्रतिनिधियों की मांग अनुसार इसी क्षेत्र में कुछ गलियों में कार्य करवाया जाना है। कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के भीतर ही सम्पादित होगा अधिक कार्य रुपये 664500/- तथा अतिरिक्त कार्य रुपये 139880/- सम्पादित करवाने स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**4.(22) राजकीय महाविद्यालय परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य :-**

कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति रुपये 8.00 लाख है। कार्यादेश राशि 6.16 लाख रुपये है। मौके पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस महाविद्यालय के पास खेल गॉव विकसित करने के निर्देश प्रदान किये गये इसी क्रम में महाविद्यालय में आवश्यक कार्य करवाये गये है। इस कारण इस कार्य पर 0.39 लाख की अतिरिक्त एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अधिक कार्य रुपये 273048/- तथा अतिरिक्त कार्य रुपये 157073/- स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श समिति ने



यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में पत्रावली पर आयुक्त महोदय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में रखने के निर्देश जारी किये गये ।

#### 5. संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की पुष्टि :-

समिति के समक्ष संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रस्तुत किये गये में बाद विचार-विमर्श समिति ने निम्नानुसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया :-

कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	कुल संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	विशेष विवरण / विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण
वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर जोन पूर्व में सड़क मरम्मत का कार्य	10.00	1.05	11.05	निविदा संख्या 58/10-11 दिनांक 25.03.11 को जारी की गई थी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्राप्ति तथा नेगोशियसन की प्रक्रिया आदि में देरी के कारण कार्यादेश दिनांक 15.06.11 को दिया गया, कार्यादेश देरी से दिये जाने के कारण एवं कार्य की पूर्व में स्वीकृति 10.00 लाख रुपये थी, निविदा राशि 15.51 प्रतिशत अधिक होने के कारण संशोधित स्वीकृति 11,04,708/- रुपये हेतु प्रकरण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।
वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर जोन दक्षिण में सड़क मरम्मत का कार्य	10.00	1.00	11.00	निविदा संख्या 58/10-11 दिनांक 25.03.11 को जारी की गई थी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्राप्ति तथा नेगोशियसन की प्रक्रिया आदि में देरी के कारण कार्यादेश दिनांक 7.6.11 को दिया गया, कार्यादेश देरी से दिये जाने के कारण एवं कार्य की पूर्व में स्वीकृति 10.00 लाख रुपये थी, संशोधित स्वीकृति 10,99,736/- रुपये हेतु प्रकरण समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।
पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में स्थित जेडीए हाऊस में पानी की टंकी बनाने का कार्य ।	0.75	1.79	2.54	प्राधिकरण कार्यालय में पानी की टंकी क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्यालय में पानी की आपूर्ति बन्द हो जाने से एक नयी टंकी का निर्माण करवाया जाना अतिआवश्यक हो गया है। अतः इस कार्य के साथ कार्य करवाये जाने पर संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 2.54 लाख तथा कार्य में अधिक आईटम राशि रुपये 96460/- एवं अतिरिक्त आईटम राशि रुपये 79180/- की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है ।
रोटरी चौराहा से न्यू पॉवर हाउस तक सड़क के मध्य आ रही 33 केवी लाईन को भूमिगत करने का कार्य ।	49.85	49.32	99.17	जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा न्यू पॉवर हाउस से रोटरी चौराहा तक 33 केवी लाईन को भूमिगत करने बाबत 99.17 लाख का तकमीना प्राप्त हुआ है। पूर्व में इस तकमीने में 49.85 लाख रुपये की राशि जमा करवाई जा चुकी है। शेष राशि 49.32 लाख रुपये जेविविनिलि को और हस्तान्तरित करने है। उक्त कार्य की संशोधित राशि रुपये 99.17 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है ।



बासनी ओवरब्रिज से शास्त्रीनगर थाना तक वाया न्यू पॉवर हाउस तक रोड के मध्य आने वाली 11 केवीए एवं 33 केवीए लाईनों को हटाने का कार्य।	935.00	—	935.00	इस रोड को बासनी ओवरब्रिज से शास्त्रीनगर थाना तक वाया न्यू पॉवर हाउस तक पोल लैस करने बाबत वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।
पावटा चौराहे से बनाइ रोड चौराहे तक रोड के मध्य आने वाली 11 केवीए एवं 33 केवीए लाईनों को हटाने का कार्य।	1700.00	—	1700.00	इस रोड को पावटा चौराहे से बनाइ रोड चौराहे तक पोल लैस करने बाबत वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

#### 6. भू उपयोग परिवर्तन :-

ग्राम काकाणी के खसरा नम्बर 825,826 रकबा 92 बीघा एवं ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 677 का संस्थागत/बहुउद्देशीय प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

#### 7. उद्यानों का हस्तान्तरण :-

प्रस्ताव संख्या 2 मे इस प्रस्ताव का समावेश होने से अनुमोदित किया गया।

#### 8. रामतलाई नाडी :-

प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

#### 9. आवाप्ति :-

प्रस्तुत प्रकरण को बाद विचार-विमर्श अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया ।

#### 10. IRCON MOU :-

समिति ने बाद विचार-विमर्श यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित एमओयू प्रारूप प्राप्त कर ईरकॉन से एमओयू किये जाने के निर्देश जारी किये गये।

#### 11. मुखण्ड संख्या 175 साईज 30 x 60 विजयराजे नगर श्री मनोज कुमार :-

प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति के समक्ष रखे गये इस प्रस्ताव को विस्तृत विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

#### 12. श्री दिनेश कुमार राकावत पुत्र श्री बंसतदास राकावत वाम्बे योजना आवास गृह संख्या बी

— 185

समिति के समक्ष रखे गये इस प्रस्ताव को विस्तृत विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।



13. श्री घेवरचन्द गोरवागी पुत्र श्री किरान पुरी राजीव गांधी नगर आवासीय योजना मूलण्ड सरखा आई - 761 साईज 6 x 15 वर्गमीटर :-

समिति के समक्ष रखे गये इस प्रस्ताव को विस्तृत विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जावे ।

14. अन्य प्रकरण अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

14.(1) निदेशक वित्त के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण के सामान्य प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन को सुचारु एवं कियान्वयन करने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिये प्रस्ताव रखा गया जिसे बाद विचार-विमर्श अनुमोदन किया गया । (परिशिष्ट 'ब')

14.(2) निदेशक वित्त द्वारा प्रस्तुत प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाने वाले चेक पर हस्ताक्षर करने के प्राधिकृत अधिकारी के अधिकार प्रस्तुत किये गये । इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	चेक की राशि का विवरण	हस्ताक्षर के प्राधिकृत अधिकारी
1.	3.00 लाख तक	वरिष्ठ लेखाधिकारी
2.	3.00 लाख से अधिक एवं 15.00 लाख तक	सहायक लेखाधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी
3.	15.00 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक	संबंधित उपायुक्त एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी
4.	50.00 लाख से अधिक	निदेशक वित्त एवं सचिव

उपरोक्त अधिकारियों में से कोई एक अधिकारी के कार्यालय से बाहर होने से चेक पर वरिष्ठ लेखाधिकारी, सचिव एवं निदेशक वित्त में से कोई दो अधिकारी सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर चेक जारी करेंगे ।  
बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर

दिनांक - 27/7/11

क्रमांक - बैठक/2011/जेडीए/जेयू/1802-II/DCE/1380-411  
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला कलेक्टर, जोधपुर ।
3. निजी सचिव अध्यक्ष/आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ।
5. मुख्य अभियंता, अधिकारी नगर निगम, जोधपुर ।
6. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर ।
8. प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निनियोजन निगम लिमिटेड, जोधपुर ।
9. निदेशक अभियांत्रिकी/वित्त/विधि/आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
10. अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
11. उपयुक्त पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
13. उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर



1380-41/27/71

परिशिष्ट-1

दिनांक 18 जून, 2011 को दोपहर 3.00 बजे श्री सिद्धार्थ महाजन, जिला कलेक्टर एवं आयुक्त महोदय, एवं अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी समिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री जीवन खान, सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात) पश्चिम, जोधपुर
2. श्री वासुदेव मालावत, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री के.सी. गोदानी, जूनियर चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री एम.एम. फुलवारिया, अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री सी.के. बाफना, निदेशक-अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्रीमती अजरा, उपायुक्त-पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री एन.के. बसल, उपायुक्त-उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक-वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री ओ.पी. बेरवा, प्रबन्धक, आर.एस.आर.टी.सी. जोधपुर
10. श्री वी.के. जैन, रीजन मैनेजर, शेको जोधपुर
11. श्री विशाल दवे, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
12. श्री पी.सी. गौड, पर्यटन अधिकारी, जोधपुर
13. श्री नन्दलाल शर्मा, मुख्य विधि सहायक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
7	To permit deposit with other Govt. Depts. Such as PHED, RSEB, Municipalities or any other Depts / Board subject to administrative, financial approval of project being available.	Ex. En. Director (Engineering) SE	Up to Rs. 1.00 Lacs Full Power with consent of Dir Fin. Rs. 20.00 Lacs Full Power with consent of Dir. Fin.	
8	To issue notice for inviting tenders and advertise through PRO cell.	DE Ex. En.	Full Power Full power if no splitting is involved Note : (1) Short term NIT approved/ permitted by the SE (2) Corrigendum should be issued after approval of SE	
9	To accept/reject tenders for the execution of sanctioned work or part of sanctioned work and for rate contracts (area wise for repairs, maintenance and petty work, including supply of material for these works.	JDC DE SE EE	Full Power Up to Rs.500.00 lacs Up to Rs. 150.00 lacs Rs. 50.00 Lacs	On recommendation of committee comprising of JDC, DE, DF & Secretary On recommendation of committee comprising of DE, DF & SE. On recommendation of committee comprising of SE, Sr. A.O. & XEn On recommendation of committee comprising of XEn, A. A.O. & AEn

Note : The above powers are subject to the condition that

- (1) The amount shown above is tendered amount quoted by the contractor which is intended to be sanctioned.
- (2) These powers shall be exercised only if tender is sanctioned by the authorities within original validity period as prescribed in NIT. In case it is not sanctioned in period allowed to authority for sanction of tender, next higher authority shall be competent to sanction within time prescribed for him.
- (3) These powers are subject to the condition that the contractor's tendered amount do not exceed the amount of Schedule 'G' as per sanctioned estimates amount by more than 20% and also that the overall monetary limits of financial powers mentioned above against each authority are not exceeded.
- (4) Thus, both the conditions should be satisfied (i) that contractor's tender amount must be within limits prescribed
- (5) above and (ii) tender premium/percentage of contractor's tendered amount over sanctioned estimated amount of Schedule 'G' is within 20%. In case there is any condition having financial implication, then tendered amount will be calculated including financial implication of the condition.



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
			<p>(6) If the tendered amount of the contractor exceeds the estimated amount of the work by more than 20% the powers will be exercised by the next higher authority. Where Schedule 'G' is based on a previous years BSR, and tenders received when evaluated to the current BSR applicable on the date of opening of tender do not show any increase over the such evaluated estimated amount and tendered amount is within financial limits to sanction tender as indicated against each, the tenders need not be referred to the next higher authority provided the revised estimates has been prepared and submitted to competent authority to sanction and copy of the revised estimate has been enclosed with the tender. Mere revision of BSR does not qualify to use this provision.</p> <p>(7) In case the lowest tenderer withdraws his offer after opening of the financial bids, negotiations will be conducted by competent authority with all the qualified tenderers to get the work done on lowest rates or below after forfeiture / recovery of earnest money of lowest tenderer as per rules. In case nobody is ready, then procedure under note 7 and 8 may be adopted.</p> <p>(8) In case lowest tenderer fails to start the work awarded to him or leaves the work incomplete, the competent authority who originally sanctioned the tender may negotiate with other qualified tenderers to get the work done on original sanctioned rates and conditions or below after taking action as per rules. If none of the tenderers is ready to execute the work on sanctioned rates after negotiations as above, the competent authority may award the work on same sanctioned rate to any eligible and experienced registered non-tenderer contractor after recording reasons.</p> <p>(9) In case after adopting procedure as per note 7, no tenderer is ready to execute the work on lowest sanctioned rate, then authority next higher to tender sanctioning authority may award the work at the rates upto 2% above lowest sanctioned are whichever is lower after following the procedure laid down in note 7.</p> <p>(10) In case of tender other than of the lowest, next higher authority will be competent to sanction. The sanctioning authority will record detailed reasons of passing over the lowest tenderer.</p> <p>(11) If only single qualified tender is received in response to an NIT, the next higher authority will be competent to sanction, reject or re-invoke.</p> <p>(12) Second set of tenders for the same work shall be invited only after rejection of first set of tenders. In case second financial set of tenders is received and opened, first set of tenders shall stand rejected automatically.</p> <p>(13) The tenders once rejected shall not be reopened and it will tantamount to allotment of work without tender. Therefore,</p>	



## Delegation of Powers to the Officers of Jodhpur Development Authority, Jodhpur.

Note:-

1. Estimates should be framed at prevailing BSR.
2. Cases requiring sanction/ approval of the JDC/ E.C. shall be routed by the Director (Engineering) through Director (Finance) & secretary.
3. Rate analysis of works shall be prepared by concerned Ex En and counter signed by Director Eng. Before opening of price bed of the tender.
4. All powers, which are not specified in the schedule below, involving financial implication up to Rs. 100.00 Lacs, shall vest with JDC.
5. For delegation of powers which are not covered in this schedule of power shall be as per PWF & AR with suitable corrections if any required to be approved by JDC.
6. Tender amount means the amount offered by the tenderer/contractor intended to be sanctioned.
7. Estimated amount means sanctioned estimated amount of items of G schedule of work concerned.
8. Tender premium means percentage rate above/below quoted by the tenderer over G Schedule amount.
9. Approved drawing & designs etc have been ready before NIT and land has been acquired before sanction of tenders. Other actions required at JDA level have been completed before sanction.
10. Power to sanction of extra/excess, time extension & rescinding contract will also be applicable on the work orders issued after 06.11.09 (i.e. date when First S.O.P of JDA was issued.)

S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
<b>A. ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL SANCTIONS</b>				
1	Administrative & Financial approval to execute a Project/ Scheme in whole or part.	E.C. JDC	Above Rs. 5.00 Crore up to Rs. 5.00 Crore	
2	Splitting of A & F Sanctions.	DE JDC	Full Power with permission of JDC	
3	To permit undertaking contribution/ deposit works and to accept contribution/ deposit in respect of them	JDC	Full Power Note 1 This will be subject to the condition that the full amount of deposit is received in advance. Expenditure will be restricted to amount received. Revised cost if any will be borne by depositor and work will be carried out after deposit of amount.	Note 2 In case of Zila Parishad work viz. MPLAD, MLALAD Scheme Full power with EE. Subject to full amount deposit in advance as per Govt. Rule and expenditure restricted to amount received including revised cost.
<b>B. TECHNICAL SANCTIONS</b>				
4	To accord technical sanction to detailed revised or supplementary estimates based on Adm. & Fin. Sanction already available.	Dir. Eng. SE Ex En.	Full Power Up to Rs. 150.00 Lacs Up to Rs. 50.00 Lacs	
<b>C. EXECUTION OF WORKS</b>				
5	To sanction execution of work departmentally.	JDC Director (Eng.) SE Ex. En. Director (Eng.) SE	Full Power Up to Rs. 50.00 Lacs Up to Rs. 20.00 Lacs Up to Rs. 5.00 Lacs Up to Rs. 5.00 Lacs Up to Rs. 2.00 Lacs	In consultation with Dir (Finance) & other conditions (as per PWF&AR item No. 26)
6	To accept at his discretion tenders for materials collection without deposit earnest money.			



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
16	To issue work order for original or repairs work up to the sanctioned estimated rates based on BSR without inviting tenders.	Ex. En.	Up to Rs. 2.00 Lacs (Annual limit Rs. 0.30 Lacs in each case with permission of JDC.)	Note: (1) It is important to check the reasonability of the rates in the schedule from time to time by inviting bids for sufficiently large amount of works. Note: (2) Rate up to the rate for similar work in nearby area.
17	To issue work order to Participating contractor (s)/enlisted contractor of required category for original or repair work up to the Sanctioned rates in case (s) where the original contractors fail to either deposit P.G. money in schedule period or does not commence the work within stipulated period or/and does not give stipulated progress and decision has been taken by the competent authority under clause 2&3 of the condition of the Contract.	EC	Full Power	
18		JDC	Up to Rs. 500.00 Lacs	
19		Dir(Engg)	Up to Rs. 150.00 Lacs	
20	To enlist contractor for various type of works as per Enlistment Rules of the Authority.	SE	Up to Rs. 50.00 Lacs	
18	To Sanction execution of works on previously approved rates of similar nature works, in case of emergency, without inviting tenders	EC JDC	Full Power Up to Rs. 100.00 Lacs	
19	To Approve basic schedule of rates	Dir. Eng.	Full Power in JDA	
20		JDC	Full power Note : The Performance of the contractor shall be reviewed at the end of each financial year. On receipt of confidential report from the officers under whom he has worked in the last financial year for quality of works, ability to complete the work in the stipulated time, financial capacity and behavior Towards officers and staff of the Authority as well as other relevant yard stick fixed by the Authority.	Enlistment will be done as per PW/F&AR until enlistment rules of authority are made.
21		Dir (Engg.) - A, B Class		
		- C, D Class		
		S.E.		
21	To sanction execution and Payment of additional Quantities of items in schedule G- bill of Quantity (BOQ) of a particular work. (excess)	EC JDC Dir. Eng SE	Full Powers Upto 50% of tendered amount of works sanctioned. Upto 30% of tendered amount of works sanctioned. Upto 20% of tendered amount of works sanctioned.	In no case expenditure will exceed the A.F sanction.



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
			<p>through messenger if they are local and by registered letters in case they belong to outstation. A minimum time of seven days in case of tenders being of outstations, and three days in case of local tenders shall be given prior to negotiations. In case of urgency the competent authority may reduce the time provided the lowest tenderer has received the intimation regarding holding of negotiations. Reasons in such cases will be recorded.</p> <p>Note : In case of non satisfactory achievement of rates from lowest tenderer, the competent authority may choose to make a written counter-offer to the lowest tenderer and if this is not accepted by him, the competent authority may decide to reject and re-invoke tenders or to make the same counter-offer first to the second lowest tenderer, then to the third lowest tenderer and so on in the order of initial bidding, if all tenderers do not accept, the counter offer may be given to any eligible registered contractor of JDA/Govt. Organization and work order be awarded to the contractor who accepts the counter offer.</p> <p>(e) In case (on unacceptable rates) the rates even after negotiations are very high, fresh tenders should be invited.</p> <p>(f) The conditions mentioned against item no. 9 shall also applicable on this item.</p>	
11	Tenders are to be finalised within mentioned period, after this period next higher authority.	EC JDC DE SE EE	Full Power 90 days 60 days 45 days 30 days	
12	To withdraw work from the contractor under the clause -32 of agreement, for recorded reason provided such withdrawal does not result into an unauthorised aid to contractor	Director (Engg.) SE EE	Full Power Up to 150.00 Lacs Up to 50.00 Lacs	
13	To rescind contract for recorded reasons, where such cancellation dose not result in loss to JDA.	JDC Dir. Eng. SE EE	Full Power Up to Rs. 500.00 Lacs Up to Rs. 150.00 Lacs Up to Rs. 50.00 Lacs	
14	To rescind contracts for recorded reasons, where such cancellation does not result in loss to JDA, after forfeiting 2% Earnest money in case of contractor not depositing additional performance guarantee or deposits additional performance guarantee but does not start the work by the stipulated date of commencement & debarring the agency for future tendering for six months irrespective of their class of registration.	JDC	Full Power	
15	To issue work order/permission to issue work order for original or repairs work up to the sanctioned estimated rates based on BSR when no tender are received.	Director (Engineering) SE Ex. En.	Up to Rs. 5.00 Lacs Up to Rs. 1.00 Lacs Up to Rs. 0.50 Lacs	



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
10	To undertake negotiations	JDC : full power DE : Up to 500.00 Lacs SE : Up to 150.00 Lacs EE : Up to 50.00 Lacs	<p>(14) Rates of non-BSR items shall however be approved by SE before permission of Authority Committee will be required.</p> <p>(15) These power are subject to the condition that the contractor's tendered amount does not exceed the Administrative and Financial Sanction by more than 10% of the work. If the tendered amount of the contractor exceeds the estimated amount of the work by more than 10% the revised estimates should be prepared and submitted to competent authority to obtain revised A&amp;F before accepting tenders.</p> <p>(16) In Case of rejection of tenders on second time and subsequent invitation, the powers shall be exercised by next higher authority.</p> <p>(17) All tenders shall be informed regarding rejection of tenders and earnest money shall be refunded immediately.</p> <p>(18) Second set of tenders for the same work shall be invited only after rejection of first set of tenders. In case second financial set of tenders is received and opened, first set of tenders shall stand rejected automatically.</p> <p>(19) The tenders once rejected shall not be reopened and it will tantamount to allotment of work without tenders.</p> <p>Note: The negotiations shall be conducted with the lowest tenderer only.</p> <p>(1) Negotiations shall be under taken in exceptional circumstances. Negotiations will not make original offer made by the tenderer inoperative the competent authority will have option to consider original offer in case the tenderer decides to increase rates originally tendered or imposes new terms and conditions this may be made clear in writing while informing for negotiation.</p> <p>(2) Negotiation before advertisement for tender may be resorted to in case of small works.</p> <p>(3) Negotiation after tenders should be discouraged. It may however be undertaken only with the lowest tenderer in following circumstances.</p> <p>(a) when ring rates/pooled rates have been quoted by the tenderers.</p> <p>(b) when the rates vary considerably and considered much higher than the prevailing market rate at the time of opening of tenders</p> <p>(4) Procedure of negotiations:</p> <p>(a) Before recommending/ conducting negotiations, full justification should be recorded in writing giving comparative trend of rates of such tenders. Contractors should be briefed of reasons of negotiations to make it success.</p> <p>(b) Result of negotiation shall be recorded in the proceedings.</p> <p>(c) Negotiations will be conducted with the lowest tenderer only.</p> <p>(d) The lowest tenderer(s) shall be informed in writing either</p>	



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
22	To sanction execution and payment for additional items (extra) existing in approved schedule of rates not provided in a sanctioned estimate / order. (Extra items available in BSR rates but not included in sanctioned estimate / order)	JDC Dir. Eng. SE Ex. En.	Full Power Upto 20% of G Schedule Upto 20% of G Schedule or Rs.30.00 lacs whichever is less. Upto 20% of G Schedule or Rs. 10.00 lacs whichever is less.	1- In any case the extra items additional item should not be exceed the A&F sanction. 2- Tender amount plus cost of extra items should not be exceed power to sanction tender 3- Revised estimate has been get approved from competent authority 4- The rates of non-BSR items shall be got approved from the SE before sanction of extra item. 5- Material deviations from designs and scope of the Project will require approval of the original sanctioning authority.
23	To Sanction payment without schedule of rates of additional items (extra) not provided in a sanctioned estimate / order. (Extra items not available in BSR rates and not included in sanctioned estimate / order.	JDC Dir. Eng. SE Ex. En.	Full Power upto limit of administrative and financial sanction. Upto Rs. 10.00 lacs on such separate item but not exceeding 10% of G Schedule whichever is less. Upto Rs. 5.00 Lacs on such separate item but not exceeding 10% of G Schedule whichever is less. Upto Rs. 2.00 Lacs on such separate item but not exceeding 10% of G Schedule whichever is less. Upto Rs. 1.00 Lacs but not exceeding 10% of G Schedule whichever is less.	
24	To divert provision for contingencies to meet cost of any new work or repair not provided such diversion does not materially alter the design provided in the original estimates sanctioned by a higher authority and is in respect of the work fairly contingent upon the work itself.	Dir. Eng. SE Ex. En.	Full Power Up to Rs. 5.00 lacs Up to Rs. 50,000/-	
25	To grant for recorded reasons on the recommendation of respective committee mansion in item no. 9 an extension of the time for the execution of the work or supply of materials or other performance of the contract.	JDC DE SE EE	Full Power Up to Rs. 500.00 Lacs Up to Rs. 150 Lacs Up to Rs. 50.00 Lacs	1. In case extension of time involves payment of prices escalation approval of JDC shall be obtained. 2. Where order passed are proposed to be review approval of next higher authority will be obtained.



Nature of Power		To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
25(a)	To grant provisional time extension to the agreements, to keep the agreement alive.	EE	Full Power	
26	To sanction repayment of security deposits of contractor on satisfactory completion of original and repair works after the lapse of the period, as specified in the contract.	EE	Full Power	After issue of completion certificate by concerned Ex. En. and certificate that defects pointed out by any higher/other have been removed by contractor and communicated to authority concerned
27	To execute the instruments relating to acceptance of tenders on behalf of the Chairman, JDA	Ex. En.	Full Power	
28	To accept Bonds of auctioneers & Security bonds for the due performance and completion of work.	Ex. En.	Full Power	
29	Agreement relating to the loan of tools and plant to the contractors and others.	Ex. En.	Full Power	
30	To remit or reduce or revise for recorded reasons the amount of compensation provided in the agreement.	Dir. (Engg)/SE/Ex. En. Ex. En. EC	Full Power in respect of tender accepted by next lower Authority Work Costing Rs. 150.00 lacs Full Power	
31	To sanction subject to A&F sanction the purchase of stores including tools & plant and spare part of machinery from firms after calling for competitive tender including the sanction of necessary estimates.	JDC Dir. Engg. SE Ex. En.	Full Power Up to Rs. 20.00 Lacs Up to Rs. 10.00 Lac Up to Rs. 50,000/-	
32	To sanction advance for purchase of store (i) In case of r/c	Dir. Engg.	Up to 98% of the cost of goods Up to 90% of the cost of good worth Rs. Three lacs.	Subject to approval of JDC

6

Note : (a) Advance for purchase of stores may be given in exceptional circumstances taking necessary precaution for securing the JDA against loss and for preventing the system from becoming general continuing any longer than is absolutely necessary.  
(b) Such advance should be made on submission of Railway or Road Transport Receipts. The balance should be paid on receipts of the goods subject to the usual verification.  
(c) The advances payment should preferably be made on receipt of a certificate of personal inspection of goods by the consignee who may employ an officer not below the rank of an Assistant Engineer.  
(d) It should also be made clear to the suppliers that they are in no way absolved from the responsibility in respect of quality and quantity of stores dispatched by them and recoveries are liable to be made if the stores received are found in way to be defective or short in quantity.



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
			(e) Inspection before dispatch of good/article shall be ensured where the advance payment amount 75% of the order placed and exceed Rs. 50,000/-	
33	To sanction purchase of spare parts of a particular machine from the authorized local dealer at manufacturer rates not exceeding the D.G.S.&D rate without calling tender.	JDC Dir. (Engg.) SE Ex. En.	Full Power Up to Rs. 2.00 Lacs Up to Rs. 1.00 Lacs Up to Rs. 0.50 lacs	1
34	To sanction purchase of spare part of a particular make for machine from the manufacturer or original equipments supplier or from the sole distributors.	Dir. (Engg.)	Up to Rs. 2.00 lacs (beyond this limit tender should be invited.)	
35	Purchase of spare parts after inviting limited tenders of a particular machine from the firms approved by the JDC in case where the material is not supplied with in the delivery period by the rate contractor.	Ex. En.	Up to Rs. 1.00 lacs in each case	
36	To sanction purchase of spare parts in emergent cases, without inviting tenders.	Ex. En.	Up to Rs. 0.25 lacs in each case with annual limit of Rs. 1 lacs.	
37	To pass indents on other department including DGS&D for articles required for sanctioned works.	Ex. En.	Up to Rs. 0.50 lacs. (maximum annual limit- Rs. 2.00 lacs)	
38	To sanction the limits of Reserve stocks of divisions	JDC	Full power after sanction of the JDC.	
39	To sanction estimates for repair and carriage of tools and plants subject to specific A&F	Dir. (Engg.) SE Ex. En.	Full Power Up to Rs. 1.00 Lacs Up to Rs. 0.50 lacs.	
40	To accept tenders for the sale of tools and plants declared surplus by the competent authority in accordance with rules.	JDC Dir. (Engg.) SE Ex. En.	Full Power Up to Rs. 10.00 lacs. Up to Rs. 1.00 Lacs Up to Rs. 0.50 lacs.	
41	To issue stock or other materials to works at stock or market rates whichever is greater when their issue is not provided for in the contract.	Ex. En.	Full power subject to the condition that a report should be made to Director (Engg.) and Director (Fin.) stating the amount of the issue and the circumstances requiring it.	
42	To declare any stores (including tools & plants stocks and materials received from work dismantled) as surplus or unserviceable and sanction their sale by public auction or destruction.	Dir. (Engg.) Ex. En.	Full Power Up to Rs. 0.50 lacs.	Note - 1. These monetary limits refer to original purchase price which may be estimated if original price is not known.
43	To sanction rate for hiring of departmental tool & plants	Director (Engg.)	Full Power subject to rules	
44	To sanction rent charges for tools and plants and other materials obtained for external sources.	Ex. En.	Full power for each type of machine Rs. 10,000/- only in emergent case after recording reasons.	
45	To approve and counter sign indents for instruments mathematical instruments, office calculators etc.	Dir. (Engg.) Ex. En.	Full Power Full power if within the scale	



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
46	To sanction after due investigation the write value of all type of stores, tools and plant lost destroyed or damaged by accident, negligence, fraud or otherwise	JDC Dir. (Engg.) SE Ex. En.	Full Power Up to Rs. 3,00 lacs in each case Up to Rs. 1,00 lacs in each case Up to Rs. 5,000/- each case	
47	To sanction the write of tool and plants which have become unserviceable after fair wear and tear.	Dir. (Engg.)	Full power subject to compliance of rules. (GF&AR, PWF&AR)	
48	To sanction after due investigation the write off of measurement books and muster role which have been lost.	Dir. (Engg.)	Full Power Note : In each case while ordering write off the Director (Engg.) should pass a separate order after due investigation & compliance of rules giving full details. Copy of the order should be endorsed to Director. (Finance) and JDC	
49	To sanction estimates for losses on stock due to depreciation owing to a fall in prices or any cause or adjustment of losses on manufacturers accounts.	JDC Dir. (Engg.) SE	Full Power Up to Rs. 0.50 lacs Up to Rs. 0.20 Lacs.	
50	To write off discrepancies in accounts	Ex. En.	Up to Rs. 50/-	
51	Write off infructuous expenditure on construction.	Dir. (Engg.)	1% of the contract value subject to a ceiling of Rs. 50,000/- in consultation with Director (Fin.)	
52	To sanction compensation for the lands and crops standing on the land taken over by the authority for public works by negotiations provided amount is certified by the land acquisition officer are reasonable and not excessive.	Dir. JDC Dir. Engg. Ex. En.	Full Power Rs. 5.00 lacs Up to Rs. 0.50 lacs. for each individual claimant.	
53	To sanction compensation, under the workmen's compensation Act or under any other law for the time being in force on as prescribed under the rules.	Dir. (Engg.) SE Ex. En.	Full Power Up to Rs. 1.00 Lacs. Up to Rs. 50,000/-	
54	To extend period and/or amount of rate contract with the mutual consent of contractor of rate contract.	DE SE EE	Full Power Up to 50% Up to 20%	
55	To approve Public private participation projects such as B.O.T.	Authority Committee of JDC, Dir. Engg., Dir. Fin.	Full Power Up to Rs. 100.00 Lacs Up to Rs. 50.00 Lacs	This amount means establishment cost of the project
56	Opening of tender of single envelop system.	Committee comprising of Ex. En, A. En. & A.A.O.	Full Power	



S.No.	Nature of Power	To whom delegated	Power	Remark
1	2	3	4	5
57	Opening of tender of two/three bid system.	Committee comprising of Ex.En, A.En & A.A.O. Committee comprising of S.E, Sr. A.O & Ex.En..	Full Power	
58	Technical Evaluation of tender of two/three bid system	JDC DE	Full Power Up to Rs. 25.00 Lacs	Note 1: Certificate is recorded by DE of JDA that the departmental organization existing for the work is either fully occupied or is not well equipped for the job. Note 2: No open Tenders are to be invited, appointment of consultant shall be as per procedure laid down in UDH Department.
59	To accord administrative and technical approval and to approve tenders conducting of detailed survey and investigation, preparation of designs and drawings, project formulations and preparation and other studies, appointing consultant, Architectural consultancy etc., other than by departmental agency e.g. private consultancy services (Subject to specific approval of the authority and specific budget provision for carrying out studies through enlisted consultant in panel of UDH.			
60	To sanction payment of price escalation under clauses of agreement.	Original sanctioning authority of tender.	Full Power	Note 1: For work done beyond stipulated original period of completion of the work or a portion of work (Reach), the payment of escalation will be made after sanction of final extension in completion period by the competent authority. Note 2: The escalation will be granted as per conditions laid down in the agreement in relevant clauses. Note 3: No escalation will be granted on the basis of provisional price indices or provisional time extension.
61	To advertise for tenders as per rules and sanction expenditure on such advertisement as per approved rates.	PRO	Full Power	Note 1: The NTI for several works should be clubbed in order to effect economy. Note 2: NTI has been invited only after fulfilling conditions laid down in P.W.F & A.R.
62	To sanction expenditure on account of ceremonies connected with laying foundation stones or inauguration of public works after administrative approval for organizing such ceremony.	JDC DE SE	Full Power for works costing of project above Rs.10.00 Crores. Up to Rs. 2.00 Lacs for works costing of project below Rs. 10.00 Crores. Up to Rs. 1.00 Lacs for works costing of project below Rs. 10.00 Crores	